राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(41)ग्रावि / ग्रुप–5 / क्यूसी / 2015–16 जयपुर, दिनांक 8 फरवरी, 2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र),
समस्त राजस्थान।

विषय :– विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित निर्माण कार्यो की गुणवत्ता जॉच व आवासों के भौतिक सत्यापन हेतु विभाग द्वारा पंजीकृत अभियंता / स्वयं सेवी संस्था / सरकारी, गैर सरकारी तकनीकी संस्थाओं की सेवाएं बाबत।

प्रसंग :– पत्र क. एफ 27 (41)ग्रावि / ग्रुप–5 / क्यूसी / 2015–16 दि0 05.11.15 एंव क. एफ 27 (44)ग्रावि / ग्रुप–5 / आवास / प्रगति / समीक्षा 2015–16 दि0 21.01.15

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रसांगिक पत्रों द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित / निर्माणाधीन कार्यो की गुणवत्ता जॉच व आवासों के भौतिक सत्यापन हेतु व्यक्तियों / स्वयं सेवी संस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया है। तृतीय पक्ष जॉच कर्ता द्वारा कार्यो के तृतीय पक्ष जॉच व भौतिक सत्यापन के दौरान कार्य स्थल से सम्पादित कार्य / सामग्री की मौके पर / प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु सेम्पल लेकर टेस्टीग की जाती है। उक्तानुसार तृतीय पक्ष द्वारा की गई निर्माण कार्य / सामग्री की टेस्टीग रिपोर्ट के आधार पर कार्यो की गुणवत्ता का आकलन हो सकेगा।

उक्तानुसार तृतीय पक्ष द्वारा की गई निर्माण कार्य / सामग्री की टेस्टीग हेतु विभागीय प्रासगिंक पत्र दिनांक 05.11.2015 के अनुसार राज्य के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय व निदेशालय तकनीकी शिक्षा जोधपुर से सम्बद्ध सरकारी व गैर सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की सेवाएं लिये जाने पर उनके विभाग द्वारा जारी दरें पर नियमानुसार भुगतान किया जावे। उक्त सरकारी एवं गैर सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के अतिरिक्त यदि तृतीय पक्ष द्वारा की गई निर्माण कार्य / सामग्री की केन्द्र / राज्य सरकार से अनुमोदित लेबोरटी से टेस्टीग कराने पर विभागीय प्रसागिक पत्र दिनांक 21.01.2016 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग की गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में निर्धारित परीक्षण दरों के बराबर देय होगा। सुलभ सन्दर्भ हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

8/2/16

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव,ग्रावि

C:\Users\user\Desktop\iay\third party letter\Gitika Ji 2014-15.docx 230

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहाकय, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रावि एवं परावि राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज।
5. निजी सचिव, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
2. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/अभियांतगण ग्रावि एवं परावि/ईजीएस जयपुर।
3. समस्त मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो एंव मू) ग्रावि को विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने हेतु।
5. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस/अभि. जिला परिषद समस्त राजस्थान।
6. सम्बंधित तृतीय पक्ष श्री..।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि